5-9-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित वकील वादी द्वारा फार्म नं. 3 के साथ साक्ष्य सबुत पेश किये शामिल पत्रावली किये गये। बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन बाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त अन्तिम डिक्री जारी की गई। निर्णय शामिल पत्रावली किया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील शामिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 260/2019

1 रामकुमार
2 कृष्णलाल
3 रायसिंह

} पुत्रान श्री जयमलराम जाति जाट निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 जयमलराम पुत्र श्री केसराराम जाति जाट निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।

2 श्यौकौरी पत्नी जयमलराम पुत्री लिछमणराम जाति जाट निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री रामकुमार बिश्नोई अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री अनिल बिश्नोई अधिवक्ता — प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 05.09.2019

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 20 एल.एल.डब्लयू., तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 25/20, खाता जयमलराम, जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के पत्थर नम्बर 86/214 मुरब्बा नम्बर 3 किला नम्बर 2, 9 ता 13, 20/2/.127, 21, पत्थर नम्बर 86/215 मुरब्बा नम्बर 10 किला नम्बर 1, 2, 8 ता 10 कुल 3.163 हैक्टर मय गैर मुमकिन खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है जो वाद का आधार है।

चक 20 एल.एल.डब्लयू., तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 61/54, खाता श्योकौरी, जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के पत्थर नम्बर 87/215 मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 5 ता 15 कुल 2.783 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है जो वाद का आधार है।

चक 25 एम.एम.के., तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 45/44, खाता जयमलराम, जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के पत्थर नम्बर 86/213 मुरब्बा नम्बर 90 किला नम्बर 13, 14/1/.126, 18, 19, 22 ता 25 कुल 1.897 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है जो वाद का आधार है।

वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है। पूर्व में वाद पत्र की मद सख्या 2 ता 4 में दर्ज आराजी प्रतिवादीगण के पिता व दादा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी तथा प्रतिवादीगण के पिता व दादा से वाद पत्र की मद सख्या 2 ता 4 में दर्ज आराजी प्रतिवादीगण को विरासतन प्राप्त हुई है तथा जद्दी जायदाद की आमदन से खरीद की गई है इस कारण वाद पत्र की मद सख्या 2 ता 4 में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज आराजी पूर्णतः जद्दी जायदाद साबित होती है, जद्दी जायदाद आराजी में कॉ–पार्सनर होने के नाते वादीगण का जन्म से प्रतिवादीगण के साथ बहिस्सा बराबर का हक हिस्सा व अधिकार है।

दफा 2 ता 4 वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि जो कि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिसमें वादीगण एंव प्रतिवादीगण का अर्सा दराज पूर्व अच्छी में से अच्छी व मन्दी में से मन्दी भूमि अनुसार घराघरू बंटवारा हो चुका है, जिसमें वादीगण एंव प्रतिवादीगण द्वारा अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का संयुक्त हिन्दू परिवार के उत्थान के लिए घरू बंटवारा किया हुआ है, जो निम्न प्रकार है :–

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

लगातार 2

Scanned by CamScanner

(क) चक 20 एल.एल.डब्लयू, तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 25/20, खाता जयमलराम, जमाबन्दी सम्वत 2072–75 में दर्ज कुल 3.163 हैक्टर मय गैर मुमकिन खाला में से वादी सख्या 2 कृष्णलाल के हिस्से मे 2.277 हैक्टर तथा वादी संख्या 1 रामकुमार के हिस्से में 506 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में 0.380 हैक्टर कृषि भूमि आई है, इसी अनुसार जयमलराम के हिस्से में से 2.783 हिस्स कम कर वादी सख्या 1 – 0.506 हैक्टर तथा वादी सख्या 2 – 2.277 हैक्टर की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

(ख) चक 20 एल.एल.डब्लयू., तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 61/54, खाता श्योकौरी, जमाबन्दी सम्वत 2072–75 में दर्ज कल 2.783 हैक्टर में से वादी सख्या 3 राय सिंह के नाम 2.277 हैक्टर की घोषणा कर प्रतिवादी सख्या 2 श्योकौरी का 2.277 हैक्टर हिस्सा कम कर वादी संख्या 3 – 2.277 हैक्टर की घोषणा करवानें का अधिकारी है।

(ग) चक 25 एम.एम.के., तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 45/44, खाता जयमलराम, जमाबन्दी सम्वत 2072–75 में दर्ज कुल 1.897 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन खाला में से वादी संख्या 1 रामकुमार के नाम 1.771 हैक्टर का घोषणा कर प्रतिवादी सख्या 1 जयमलराम का 1.771 हैक्टर हिस्सा कम कर वादी सख्या 1 – 1.771 हैक्टर की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

वादीगण मुताबिक घराघरू बंटवारा अनुसार अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर काविज होकर काश्त कर रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने से वादीगण के हितो पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है तथा वादीगण रहन, बेचान इत्यादि की सुविधा लेने से वंचित हो रहे है तथा प्रतिवादीगण ने अपने नाम दर्ज आराजी में से प्रत्येक वादीगण को घरू बंटवारे अनुसार कृषि भूमि दी हुई है तथा इसी अनुसार वादीगण मुताबिक घराघरू बंटवारा अपने आधिपत्य व धारण की आराजी की घोषणा वाद पत्र की मद सख्या 6 के अनुसार अपने नाम से करवाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को एक सप्ताह पूर्व निवेदन किया कि मुताबिक घराघरू बंटवारा वादीगण के हक व हिस्सा की कृषि भूमि को वादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा देवे तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। यही वाद कारण है।

वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वाद वादीगण के विरूद्व प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका पर डिक्री फरमाया जावे :–

(क) वाद पत्र की मद संख्या 2 ता 4 में दर्ज आराजी की घोषणा वाद पत्र का मद संख्या 6 के अनुसार वादीगण के नाम की जाकर राजस्व रिकार्ड दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलाया जावें।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण को प्रदान करना उचित समझे, दिलवाया जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 27.08.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उक्त अनवानी प्रकरण मे हम पक्षकारान के बीच पंचायत के मौजिज व्यक्तियों ने राजीनामा करवा दिया है।

लगातार 3

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 जयमलराम के नाम से वाके चक 20 एल.एल.डबल्यू. के खाता संख्या 25/20 मे 3.163 हैक्टर व चक 25 एम.एम.के. खाता संख्या 45/44 मे 1.897 हैक्टर एवं प्रतिवादी संख्या 2 श्योकौरी के नाम से वाके चक 20 एल.एल.डबल्यू. खाता संख्या 61/54 मे 2.783 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है, उक्त वर्णित आराजी पूर्व मे वादीगण प्रतिवादीगण के पूर्वज के नाम थी तथा विरास्तन प्राप्त हुई है तथा जद्दी जायदाद की आमदन से खरीद की हुई है। जद्दी जायदाद आराजी मे वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ जन्म से ही बहिस्सा बराबर का अधिकार है। अब हिन्दु संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अरसा पूर्व घराघरू बंटवारा किया हुआ है मुताबिक बंटवारा वादी संख्या 1 रामकुमार को वाके चक 20 एल.एल.डबल्यू. खाता संख्या 25/20 मे से 0.506 हैक्टर, चक 25 एम.एम.के. खाता संख्या 45/44 मे से 1.771 हैक्टर, वादी संख्या 2 कृष्णलाल को चक 20 एल.एल. डबल्यू. खाता संख्या 25/20 मे से 2.277 हैक्टर, वादी संख्या 3 रायसिह को चक 20 एल. एल.डबल्यू. खाता संख्या 61/54 मे से 2.277 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 1 जयमलराम को चक 20 एल.एल.डबल्यू. खाता संख्या 25/20 मे से 0.380 हैक्टर, चक 25 एम.एम.के. खाता संख्या 45/44 में से 0.126 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 2 श्योकोरी को चक 20 एल.एल.डबल्यू खाता संख्या 61/54 में से 0.506 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई है। तथा इसी अनुसार काबिज काश्त है।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री फरमाया जावे तो हम पक्षकारान पूर्णतया सहमत है हमे कोई आपति नहीं है।

उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्धान अधिवक्तागणों नें राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

लगातार 4

Scanned by CamScanner

जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादाधीन भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार के कारण वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पुत्र होनें के कारण उसका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि में वादीगण को निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

1 चक 20 एल.एल.डब्लयू, तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 25/20, के पत्थर नम्बर 86/214 (3) किला नम्बर 2, 9 ता 13, 20/2/.127, 21, पत्थर नम्बर 86/215 (10) किला नम्बर 1, 2, 8 ता 10 कुल 3.163 हैक्टर मय गैर मुमकिन भूमि में वर्तमान प्रविष्टि "जयमलराम वल्द केशराराम" को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर "वादी संख्या 1 रामकुमार पुत्र जयमल को 0.506 हैक्टर तथा वादी सख्या 2 कृष्णलाल पुत्र जयमल को 2.277 हैक्टर एवम् प्रतिवादी संख्या 1 जयमलराम पुत्र केसराराम को 0.380 हैक्टर" कुल 3.163 हैक्टर मय गैर मुमकिन कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

2 चक 20 एल.एल.डब्लयू, तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 61/54, के पत्थर नम्बर 87/215 मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 5 ता 15 कुल 2.783 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन भूमि में वर्तमान प्रविष्टि "श्यौकोरी पुत्री लिछमण" को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर "वादी संख्या 3 रायसिंह पुत्र जयमलराम को 2.277 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 2 श्यौकोरी पत्नी जयमलराम को 0.506 हैक्टर" कुल 2.783 हैक्टर मय गैर मुमकिन कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

3 चक 25 एम.एम.के, तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 45/44, के पत्थर नम्बर 86/213 मुरब्बा नम्बर 90 किला नम्बर 13, 14/1/.126, 18, 19, 22 ता 25 कुल 1.897 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन भूमि में वर्तमान प्रविष्टि "जयमल वल्द केसराराम" को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर "वादी संख्या 1 रामकुमार पुत्र जयमल को 1.771 हैक्टर तथा प्रतिवादी सख्या 1 जयमलराम पुत्र केसराराम को 0.126 हैक्टर" कुल 1.897 हैक्टर मय गैर मुमकिन कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 05.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 260/2019

1 रामकुमार
2 कृष्णलाल
3 रायसिंह
} पुत्रान श्री जयमलराम जाति जाट निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 जयमलराम पुत्र श्री केसराराम जाति जाट निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
2 श्यौकौरी पत्नी जयमलराम पुत्री लिछमणराम जाति जाट निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 05.09.2019

वादीगण की और से श्री रामकुमार बिश्नोई अधिवक्ता, तथा प्रतिवादीगण की और से श्री अनिल बिश्नोई अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 05.09.2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि में वादीगण को निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

1 चक 20 एल.एल.डब्लय्, तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 25/20, के पत्थर नम्बर 86/214 (3) किला नम्बर 2, 9 ता 13, 20/2/.127, 21, पत्थर नम्बर 86/215 (10) किला नम्बर 1, 2, 8 ता 10 कुल 3.163 हैक्टर मय गैर मुमकिन भूमि में वर्तमान प्रविष्टि "जयमलराम वल्द केशराराम" को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर "वादी संख्या 1 रामकुमार पुत्र जयमल को 0.506 हैक्टर तथा वादी सख्या 2 कृष्णलाल पुत्र जयमल को 2.277 हैक्टर एवम् प्रतिवादी संख्या 1 जयमलराम पुत्र केसराराम को 0.380 हैक्टर" कुल 3.163 हैक्टर मय गैर मुमकिन कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2 चक 20 एल.एल.डब्लय्, तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 61/54, के पत्थर नम्बर 87/215 मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 5 ता 15 कुल 2.783 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन भूमि में वर्तमान प्रविष्टि "श्यौकोरी पुत्री लिछमण" को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर "वादी संख्या 3 रायसिंह पुत्र जयमलराम को 2.277 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 2 श्यौकोरी पत्नी जयमलराम को 0.506 हैक्टर" कुल 2.783 हैक्टर मय गैर मुमकिन कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3 चक 25 एम.एम.के, तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 45/44, के पत्थर नम्बर 86/213 मुरब्बा नम्बर 90 किला नम्बर 13, 14/1/.126, 18, 19, 22 ता 25 कुल 1.897 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन भूमि में वर्तमान प्रविष्टि "जयमल वल्द केसराराम" को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर "वादी संख्या 1 रामकुमार पुत्र जयमल को 1.771 हैक्टर तथा प्रतिवादी सख्या 1 जयमलराम पुत्र केसराराम को 0.126 हैक्टर" कुल 1.897 हैक्टर मय गैर मुमकिन कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 05.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
..... रूपये पर प्लीडर की फीस	– –	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –	आदेशिका की तामिल	– –
कमिश्नर की फीस	– –	कमिश्नर की फीस	– –
आदेशिका की तामिल	– –		
योग	– –	योग	– –

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.20 18:28:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: